

कार्यालय निबन्धक, सहकारी समितियाँ उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक 14005/ऑडिट/सूचीबद्ध आदेश/2023-24 दिनांक 20 फरवरी, 2024।

निरस्तीकरण आदेश

सहकारिता विभाग के अन्तर्गत सहकारी समितियाँ/अर्बन बैंक/जिला सहकारी बैंक/शीर्ष संस्थाओं के सांविधिक (Statutory) लेखा परीक्षा कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 एव 2024-25 दिनोंक (1.04.2023 से 31.03.2025) दो वर्ष हेतु भारत में पंजीकृत कंपनी, लेखा परीक्षा फर्मों हेतु विभागीय पार्टल <http://cooperative.uk.gov.in> पर EOI आमंत्रित की गयी थी।

उपरोक्त निविदा में पर्याप्त पात्र फर्मस नही मिलने के फलस्वरूप निविदा निरस्त की जाती हैं। पुनः निविदा आमन्त्रण हेतु सूचना पृथक से प्रकाशित की जायेगी।



(आनन्द ए0डी0 शुक्ल)

अपर निबन्धक,

सहकारी समितियाँ उत्तराखण्ड।